उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ
सभागार आरक्षण हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,

विवरण पत्र क्रमांक .....

निदेशक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

महोदय,

कृपया मुझे/हमें/हमारी संस्था के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार सभागार आरक्षित करने का कष्ट करें :–

सभागार का नाम ..... दिनांक ..... दिन..... समय ..... से ..... तक

मैंने/हमने/हमारी संस्था ने सभागार के लिए निर्धारित नियमों का भली–भाँति अध्ययन कर लिया है और ये नियम मुझे/हमें/हमारी संस्था को पूर्ण रूप से मान्य है।

मैं/हम/हमारी संस्था जमानत की धनराशि रूपये ..... तथा आरक्षण शुल्क रूपये .....

नकद/चेक संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा कर रहा हूँ/रहे हैं/रही हैं :–

1– आवेदक का पूरा नाम : .....

2– पूरा पता : .....

3– टेलीफोन नं0– .....

4– संस्था का नाम : .....

5– संस्था से सम्बन्ध : .....

6– संस्था का पंजीकरण आदि यदि कोई हो : .....

7– कार्यक्रम का विवरण :–(मुख्य अतिथि एंव मुख्य वक्ता का नाम) : .....

.....

क– साहित्यिक कार्यक्रम (विषय) : .....

ख– सांस्कृतिक कार्यक्रम (विषय) : .....

ग– नाटक/अन्य मनोरंजक प्रदर्शन (विषय) : .....

घ– संगोष्ठी/गोष्ठी/कार्यशाला/शैक्षिक कार्यक्रम (विषय) : .....

.....

8– कार्यक्रम प्रवेश शुल्क की दर : .....

9– मैं/हम/हमारी संस्था घोषणा करता हूँ/करते हैं/करती हैं कि आरक्षण अवधि के पश्चात सभागार हर हालत में खाली कर दूँगा/देंगे/देंगी। सभागार के अन्दर चाय/नाश्ना व धूम्रपान नही होने दूँगा/देंगे और सभागार के लिए बने सभी नियमों का पालन करूँगा/करेंगे। यदि आरक्षित समयावधि सभागार खाली नही किया जाता है तो बिजली आपूर्ति बन्द कर दी जाए। पान/पान मसाला खाने अथवा थूकने व अन्य किसी प्रकार की गन्दगी अथवा टूट–फूट तथा कार्यक्रम के दौरान कार्यालय परिसर में किसी प्रकार का राजनीतिक झंडा आदि लगाये जाने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जाए।

10– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम किसी भी प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा तथा इसमें शासन पर कोई आक्षेप नही होगा, न ही ऐसा वक्तव्य होगा, जिसमें किसी समुदाय की भावनाऐं आहत हो तथा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो।

11– सभागार में लगे चित्रों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक/संस्था का होगा। चित्रों को किसी प्रकार का नुकसान होने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जाए।

12– सभागार में कार्यक्रम के दौरान चाय/जलपान व पानी के लिये किसी प्रकार के प्लास्टिक के कप व गिलास का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

यदि उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन मेरे अथवा मेरी संस्था द्वारा नहीं किया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाय।

दिनांक : .....

स्थान : .....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

शर्तें / नियम :–

1– सभागार का आरक्षण व्याख्यानमाला, साहित्यिक / सांस्कृतिक समारोह, गोष्ठियों के अतिरिक्त शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक कार्य–कलापों के लिये किया जा सकता है। शर्त यह है कि उक्त दिवस एवं समय पर संस्थान का कोई कार्यक्रम निर्धारित न हो। किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम वर्जित है।

2– आरक्षण अधिक से अधिक एक माह पूर्व कराया जा सकता है।

3– आरक्षण हो जाने के पश्चात भी बिना कोई कारण बताये उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक / सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

4– निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण व सही प्रकार से भर कर आरक्षण की धनराशि आवेदक द्वारा संस्थान कोष में जमा की जाएगी। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा सभागार की कार्यवाही की जायेगी।

5– सक्षम अधिकारी / निदेशक द्वारा आरक्षण निरस्त कर दिये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा शुल्क एवं जमानत की सम्पूर्ण राशि बिना ब्याज के चेक द्वारा वापस की जायेगी।

6– सभागार के आरक्षण के पश्चात आवेदक द्वारा आरक्षित तिथि को निर्धारित समय के भीतर उपयोग न करने पर आरक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

7– यदि आवेदक सभागार के आरक्षण की तिथि को उसका उपयोग नहीं कर पाता है तथा किसी अन्य तिथि के लिये आरक्षण चाहता है और इसकी सूचना आरक्षण तिथि से 7 दिन पूर्व देता है तो सभागार उपलब्ध होने की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है।

8– आवेदक आरक्षण किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं कर सकता।

9– जमानत की धनराशि सभागार उपयोग के पश्चात वापस लौटाई जायेगी। एक माह के भीतर जमानत की राशि आवेदक द्वारा वापस न लेने की स्थित में उसे जब्त माना जायेगा।

10– सभागार का कब्जा समारोह / कार्यक्रम / सत्र प्रारम्भ होने के निश्चित समय से ही दिया जायेगा तथा समारोह समाप्ति के आधा घण्टे बाद ले लिया जायेगा।

11– अतिरिक्त समय के लिये आवेदक को अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा। इसका भुगतान तत्काल करना होगा।

12– समारोह / कार्यक्रम के मध्य सभागार में लगे उपकरणों, यंत्रों, बिजली, पंखा, फर्नीचर पर्दों और साज–सज्जा के विभिन्न सामानों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर उपर्युक्त जमानत के रूप में जमा की गयी धनराशि से क्षतिपूर्ति की जायेगी और यदि पहुँचायी गयी क्षति जमानत की धनराशि से अधिक हुई तो उसे आवेदक को जमा करना अनिवार्य होगा। हानि / क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में निदेशक / सक्षम अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

13– कोई ऐसा कार्यक्रम सभागार में नहीं किया जायेगा, जिससे किसी राजनीतिक दल / व्यक्ति / संस्था / पक्ष / कापीराइट के अधिकारों का हनन होता हो। यदि ऐसा किया गया तो इस सम्बन्ध में उठने वाले कानूनी या अन्य प्रकार के विवादों का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ऐसे विवादों के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।

14– सभागार के आरक्षण का तात्पर्य केवल सभागार के भीतर रिक्त स्थान व उसके बरामदे से होगा।

15– सभागार के मंच और उसके भीतर किसी भी भाग में कील आदि नहीं ठोकी जाएगी और न ही किसी अन्य प्रकार से सभागार को क्षतिग्रस्त / गन्दा किया जायेगा।

16– सभागार में लगे हुए फर्नीचर के अतिरिक्त कुर्सियाँ, सोफा आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल उतने ही व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होगी जितनी कुर्सियाँ सभागार में उपलब्ध है।

17– सभागार में थूकना, पान–सिगरेट, चाय एवं मद्यपान, जलपान, भोजन आदि सर्वथा वर्जित है। पानी अथवा सामान्य जलपान के लिये बरामदे का उपयोग किया जा सकता है, इस शर्त पर कि उपयोग के बाद उसकी सफाई का दायित्व आवेदक का होगा। संस्थान परिसर में पान मसाला तथा पान आदि थूकने पर आयोजक द्वारा जमानत के रूप में जमाराशि जब्त कर ली जायेगी।

18– हिन्दी संस्थान के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को सभागार के मंच पर आयोजन के किसी भी समय जाने का अधिकार होगा।

19– सभागार में किसी स्थान पर 10 सीटें संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग के लिये सुरक्षित रहेंगी।

20– पुलिस अथवा ट्रैफिक पुलिस का कार्यक्रम/आयोजन के दिन आवश्यकतानुसर प्रबन्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा।

21– आवेदक अधोलिखित सभी उत्तरदायित्वों को निभाने के लिये व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगा :–

(अ) सभागार जिस कार्य हेतु लिया गया उसके आयोजन में हुयी भीड़ को पूर्णतया विधि संगत ढंग से नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व।

(ब) सभागार की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व आवेदक का होगा।

(स) शासन, पुलिस, नगर महापालिका एवं स्थानीय प्रशासन के लागू नियमों के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन करने के सम्बन्ध में समय व नियमों के पालन का उत्तरदायित्व।

(द) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से आवश्यक लाइसेंस, परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व।

(य) विज्ञापन आदि के सम्बन्ध में नगर महापालिका अथवा अन्य विभागों एवं संस्थाओं को कर आदि के भुगतान का दायित्व।

(र) कार्यक्रम से सम्बन्धित देय अन्य समस्त करों के भुगतान का दायित्व।

(ल) सभागार के प्रयोग के सम्बन्ध में सभी नियमों का पालन करने का उत्तरदायित्व।

22– जमानतः– सभागार के आरक्षण हेतु शुल्क के अतिरिक्त रूपये दो हजार मात्र (रू0 2000/–) जमानत के रूप में आवेदक को सक्षम अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा मांगे जाने पर जमानत राशि सक्षम अधिकारी द्वारा वापस कर दी जायेगी।

23– हिन्दी संस्थान किसी भी रूकावट के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। उत्तम सुविधाएँ सुलभ कराने की दृष्टि से सभागार स्टेज, ध्वनि एवं विद्युत उपकरण आदि से सुसज्जित किया गया है। इन सुविधाओं को बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा, फिर भी किसी कारण से यदि कोई रूकावट पैदा होती है तो आरक्षण शुल्क में किसी प्रकार की कटौती मान्य नही होगी। संस्थान अचानक उत्पन्न हुई किसी भी रूकावट के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। जनरेटर की सुविधा आवेदक द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जा सकती है, इसका शुल्क अलग से देना होगा।

24– सभागार में प्रवेश एवं निकास के समय शान्ति बनाये रखने का दायित्व आयोजक का होगा। कार्यालय समय व उसके पश्चात समारोह/कार्यक्रम के समय हिन्दी भवन परिसर में रखे गये वाहनों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।

25– सभागार में लगे चित्रों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा। चित्रों को किसी प्रकार का नुकसान होने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

26– सभागार का निःशुल्क आरक्षण वर्जित है।

नोट :– यदि संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्यक्रम समाप्त नहीं किया गया तो सभागार की बिजली आपूर्ति बन्द कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।